11.10.2021

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान मे रघुवंशी पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार करौली की रिपोर्ट पत्रांक 3078 दिनांक 14.9.2021 का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट जीतेन्द्र कुमार स्व. किरोडी लाल चतुर्वेदी का विधिक वारिस है। जो रिपोर्ट से सही प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पालना हेतु मिसल

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:46:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	श्री प्रमाणित प्रति तहसीलदार करौली को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:46:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी :— धीरेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मु0नं0	आर.सी.एम.एस	तारीख रजू.
14 / 2020	2020 / 00099	24.12.2020

जीतेन्द्र कुमार आत्मज स्व. किरोडी आयु 37 साल जाति चतुर्वेदी (ब्राहम्ण) नि. ग्राम रतनपुर पोस्ट रघुवंशी तहसील व जिला करौली राज.

———————— अपीलान्ट

बनाम

1.घनश्याम
2 .श्री
| पुत्रान स्वं. किरोडी आयु 37 साल जाति चतुर्वेदी (ब्राहम्ण) नि. ग्राम रतनपुर पोस्ट रघुवंशी तहसील व जिला करौली राज

3.सूकी उर्फ सूको आयु 75 साल पत्नि स्व. किरोडी आयु 37 साल जाति चतुर्वेदी (ब्राहम्ण) नि. ग्राम रतनपुर पोस्ट रघुवंशी तहसील व जिला करौली राज

4ग्राम पंचायत परीता

5.ग्राम पंचायत रघुवंशी

6.लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली

——रेस्पोडेन्ट

अपील नामान्तरणकरण 306 ग्राम पंचायत परीता

निर्णय

दिनांक 11.10.2021

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प पंचायत मुख्यालय रघुवंशी पर पेश हुई । अपीलान्ट स्वयं उपस्थित वहस अपील अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील इस आशय की पेश की है कि निर्णय दिनांक 26.05.1989 बावत् नामान्तरण संख्या 306 ग्राम रघुवंशी में पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट के पितामह मनोहरी व पिता किरोडी का विरासत नामान्तरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट का नाम नामान्तरण में दर्ज नही किया और गिरदावर हल्का एवं अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रघुवंशी द्वारा भी बिना जॉच के एक ही दिन में सारी प्रकिया अपनाकर नामान्तरण स्वीकृत करने का निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्व है जबकि अपीलान्ट मृतक किरोडी पुत्र मनोहरी का पुत्र है और रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 का भाई है और रेस्पोडेन्ट नं. 3 का पुत्र है। अपीलान्ट के समस्त कागजात परिचय पत्र जनआधार कार्ड, राशनकार्ड, आधार कार्ड, में अपीलान्ट के पिता का नाम किरोडी दर्ज है किरोडी अपने पिता मनोहरी से पूर्व ही फौत हो गया था। अपीलाण्ट मृतक किरोडी का पुत्र है वैध वारिस है और अपना नाम नामान्तरण में दर्ज कराने का अधिकारी है। अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 9.12.2020 को नकल नामान्तरण प्राप्त होने पर हुई है। जानकारी दिवस से [illegible]ट अन्दर म्याद प्रस्तुत है। दिनांक 26.5.1989 से दिनांक 9.12.2020 तक के [illegible] जानकारी अपीलान्ट के अभाव में कण्डोन किये जाने का आवे[illegible] शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया है। अंत अपील अपीलान्ट स्वीका[illegible] किये जाने का निवेदन किया है।

प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेंजो से अपीलान्ट का किरोडी पुत्र मनोहरी का पुत्र होना प्रतीत होता है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 26.7.2021 में पटवारी हल्का रघुवंशी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:46:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ने अपीलान्ट का किरोडी का पुत्र होना एवं विधिक वारिस किरोडी का अपीलान्ट को माना है। अपीलान्ट जैर अपील नामान्तरण में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार है।
अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है अपीलान्ट का नाम नामान्तरण नं. दिनांक 26.5.1989 ग्राम रघुवंशी तहसील करौली में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल करें निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार करौली को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को लिखा जाकर सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:46:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner